रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-27092024-257564 CG-DL-E-27092024-257564

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 559]

No. 559]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 27, 2024/आश्विन 5, 1946 NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 27, 2024/ASVINA 5, 1946

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 27 सितम्बर, 2024

आय-कर

सा.का.नि. 601(अ).—भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, (केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) की अधिसूचना, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड(i) में सा.का.नि 584(अ) दिनांक 20 सितम्बर, 2024 द्वारा प्रकाशित की गई है;

- (i) पृष्ठ संख्या 9 पर, अनुसूची V में, पंक्ति क में, शब्द "या फाईल की जानी है" को हटा दिया जाएगा;
- (ii) पृष्ठ 11 पर, अनुसूची XII में, पंक्ति भ और पंक्ति म में, नए अपीलकर्ता मामले और पुराने अपीलकर्ता मामले के लिए सूत्र के अंतिम शब्द [+ (आंकड़ा)*ख] के रूप में दर्शाया गया है, को हटा दिया जाएगा;

6306 GI/2024 (1)

(iii) पृष्ठ 15,16 और 17 पर, अनुसूची XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV और XXVI में, उनकी संबंधित पंक्ति भ और पंक्ति म में, नए अपीलकर्ता मामले और पुराने अपीलकर्ता मामले के लिए सूत्र के अंतिम शब्द [+(आंकड़ा)*ग] के रूप में दर्शाया गया है. को हटा दिया जाएगा।

[अधिसूचना सं. 105 /2024, फा. सं. 370142/16/2024-टीपीएल] सुरबेंदु ठाकुर, अवर सचिव

नोट: मूल नियम राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड(i) में सा.का.नि 584(अ) दिनांक 20 सितम्बर, 2024 द्वारा प्रकाशित किये गए हैं।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 27th September, 2024

INCOME-TAX

G.S.R. 601(E).—In the notification of the Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue, (Central Board of Direct Taxes) published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-Section (i), *vide* G.S.R. 584(E) dated the 20th September, 2024:—

- (i) at page number 28, in schedule V, in row A, the words "OR to be filed" shall be omitted;
- (ii) at page number 32, in Schedule XXIII, in row A, the words "or appeal to be filed" shall be omitted;
- (iii) at page 29, in schedule XII in row X and row Y, last term of the formula represented in the form of [+(figure)* B], for new appellant case and old appellant case shall be omitted;
- (iv) at page 31 and 32, in schedules XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV and XXVI, in their respective row X and row Y, last term of the formula represented in the form of [+(figure)*C], for new appellant case and old appellant case shall be omitted.

[Notification No. 105/2024, F. No. 370142/16/2024-TPL] SURBENDU THAKUR, Under Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II Section-3, Sub-Section (i) vide number G.S.R. 584(E) dated the 20th September, 2024.